

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687

GSTIN: 09AAACU8823E1Z9

कमरा नं० 320, तृतीय तल, शक्ति

भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ-

226001

रेक्स संख्या - 8320



Room No. 320,

IIIrd Floor, Shakti Bhawan,

14-Ashok Marg, Lucknow-226001

E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

दिशा-निर्देश सं० : 14 / उ०म०प्र० (टैक्स) / जी०एस०टी० सेल / 2019

दिनांक 19 / 01 / 2019

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०

मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०) / 765के०वी० /
सी० एण्ड सी० / सी०एम०यू०डी० / जानपद (I) / (II)
पारेषण मध्य / पूर्व / पश्चिम / दक्षिण
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
लखनऊ / इलाहाबाद / मेरठ / आगरा / झांसी / गोरखपुर

विषय: SEZ स्थित इकाईयों को आपूर्ति/सेवा प्रदान करने के संबंध में।

जी०एस०टी० नियमों के अनुसार SEZ इकाईयां अथवा SEZ Developer को प्रदान की गयी सेवाओं/आपूर्ति को "Zero Rated Supply" या "Deemed Export" माना गया है। Zero Rated Supply में जी०एस०टी० का भार क्रेता/सेवा प्राप्तकर्ता को वहन नहीं करना होता है। अतः आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता के पास SEZ इकाई को बिक्री/सेवा प्रदान करते वक्त जी०एस०टी० की प्रयोज्यता से संबंधित निम्नलिखित दो विकल्प उपलब्ध हैं:-

1. प्रथम विकल्प में निगम भारित किये जाने वाले जी०एस०टी० को स्वयं जमा करें तथा बाद में उसका रिफण्ड जी०एस०टी० विभाग से प्राप्त करें।
2. द्वितीय विकल्प के रूप में निगम जी०एस०टी० विभाग में SEZ की इकाईयों को विद्युत संयोजन प्रदान करने के लिए एक Letter of Undertaking (LUT) प्रस्तुत करें एवं तदोपरांत वीजक/प्राकलन में जी०एस०टी० भारित न करें।

उपर्युक्त दोनों प्रणाली मान्य हैं परन्तु प्रथम विकल्प में अनावश्यक धन का प्रवाह होता है जिसको कार्यप्रणाली में अपनाया जाना उचित नहीं होगा। द्वितीय विकल्प अधिनियम के अनुरूप तथा सुगम है। मुख्यालय द्वारा द्वितीय विकल्प को अपनाया गया है। मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2018-19 के Online LUT शीघ्र ही दाखिल कर दी जायेगी, तदोपरांत इकाईयों द्वारा SEZ इकाईयों को बिक्री/सेवा प्रदान करते वक्त बिना जी०एस०टी० चार्ज किये Tax Invoice/Receipt Voucher निर्गत किया जा सकेगा।

इकाईयां/खण्ड द्वारा अनिवार्यता SEZ इकाईयों से इस बात का औपचारिक प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उक्त इकाई SEZ क्षेत्र में स्थित है तथा उनपर जी०एस०टी० की देयता नहीं है। इसके साथ ही इकाईयां/खण्ड SEZ इकाई के GSTIN को GST Portal पर जाँच ले कि उपरोक्ता SEZ इकाई है या नहीं।

जांचने की प्रक्रिया निम्नलिखित अनुसार है:-

- 1- Internet पर www.gst.gov.in Website खोलें।
- 2- उसके बाद "Search Tax Payer" पर Click करें।
- 3- उसके बाद SEZ इकाई का GSTIN डालें एवं CAPTCHA भर कर Search Button पर Click करें।
- 4- Search Result में निम्नलिखित अनुसार जाँचे कि "Tax Payer Type" में SEZ UNIT लिखा है अथवा नहीं।



Goods and Services Tax

[Home](#)[Services](#)[GST Law](#)[Downloads](#)[Search by Taxpayer](#)[Help](#)[e Way Bill System](#)[Home](#) [Search Taxpayer](#) [Search by GSTIN/UID](#)

Search Taxpayer

GSTIN/UID of the Taxpayer*

Name of the Taxpayer (Optional)

SEARCH

Search Result based on GSTIN/UID 09AACFM9234A1Z1

GSTIN/UID

09AACFM9234A1Z1

Legal Name of Business

MAGNI CONTRACTORS AND COMO

Centre Jurisdiction

RANGE - I

State Jurisdiction

Muzaffar Nagar Sector-7 (United Industrial Office)

Date of registration

01/07/2017

Constitution of Business

Partnership

Taxpayer Type

SEZ Unit

GSTIN / UID Status

Active

Date of Cancellation**Field Visit Conducted?**

No

* Indicates mandatory fields

Check This, Whether SEZ unit or not.

इकाईयां सुनिश्चित करें कि Tax Invoice/Receipt Voucher निर्गत करते वक्त उस पर "Supply meant for SEZ/SEZ developer under LUT without payment of Integrated Tax" अंकित करना होगा।

(ए०के० गुप्ता)

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

दिशा-निर्देश सं० : 14 / उ०प्र० (टेक्स) / जी०एस०टी० सेल / 2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) / वित्त / आपरेशन / कार्य एवं परि० / एस०एल०डी०सी० / वाणिज्य एवं नियोजन उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन / गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य / पूर्व / पश्चिम / दक्षिण, लखनऊ / इलाहाबाद / मेरठ / आगरा।
- 5- उप महाप्रबन्धक (निधि) / मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए०के० गुप्ता)

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)